

फर्ट अहकाम

(नियम 15)

1

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

मुकदमा बालकृष्ण बनाम सुगना देवी नं. 60 सन 2009

हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

7/9 वर्षीय बालिका देवि सुभार शर्मा ने अन्ध
 बापक लक्ष्मण लक्ष्मी निवेदन
 का पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार
 किया गया। अन्ध के अन्ध कर जमाने
 जज के सम्मन जारी होकर दिनांक
 30/7/09 के अन्ध

मजिस्ट्रेट
 टोडाभीम (करौली)

7/09

वार एसो. अन्ध जिला अदालत कार्य स्थान
 देखा गया। P.O. सा. कानून व्यवस्था के पेशे हैं।
 अन्ध वार नामील डी. 13/8/09 के पेशे हैं।

वर्षीय काल उपस्थित। अन्धवादी सं. के अन्ध से
 शम्भेरसी अन्ध एड. ने कानून व्यवस्था पेशे 1/8/09
 अन्ध नं. 2, 3, 4, 5, 6 के अन्ध से अन्ध
 अन्ध के अन्ध उपस्थित नहीं उनके अन्ध एक
 पेशे कार्यवाही अन्ध में लक्ष्मी देवि अन्ध नं.
 6, 7, 9 के सम्मन नामील देवि अन्ध नं. (दु.ए.)
 अन्ध अन्ध अन्ध नं. एवं अन्ध
 नामील अन्ध नं. 6, 7, 9 डी. 25/8/09 के

अन्ध के अन्ध

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
29.8.16	<p>वकूलाय उपना वादी वकील ने कोई साक्ष्य प्रेश नहीं की है तथा यह मुकदमा अगले नही चलाने का कथन किया। Next Press में दावा खारिज किया जाता है पत्रावली फ्रेंचल शुभार होम नम्बर से कम होना दायित्व दफ्तर है।</p>